बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

संं0सं0–4 / निदे0 अनु0जाति राज्य स्कीम (सा0 एवं पू0)–46–06 / 2025– 284

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0से0,

निदेशक

सेवा में,

संबंधित जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक– 13/01/2026

विषय–**वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग से संचालित अनु0 जाति के आवासीय विद्यालय के छात्रावासों, आवासीय विद्यालय, महकार, गयाजी एवं अनु0 जाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवासीत छात्र / छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में ₹5,89,48,080 / –(पाँच करोड़ नवासी लाख अड़तालीस हजार अस्सी रू0) मात्र) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग से संचालित अनु0 जाति के आवासीय विद्यालय के छात्रावासों, आवासीय विद्यालय, महकार, गयाजी एवं अनु0 जाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवासीत छात्र / छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में ₹1400.00 लाख (चौदह करोड़ रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक–26 दिनांक–22.04.2025 तथा ₹1,01,77,616 / –(एक करोड़ एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ सोलह रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक–206 दिनांक–10.10. 2025 द्वारा प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि के आलोक में विभाग से संचालित अनु0 जाति के आवासीय विद्यालय के छात्रावासों, आवासीय विद्यालय, महकार, गयाजी एवं अनु0 जाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवासीत छात्र / छात्राओं को भोजनादि, पोशाक, चौकी, मैट्रेस, डेस्क–बेंच, वाटर–प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल–सामग्री, टी0भी0, पंखा, अग्निशमन यंत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी, आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड, रोटी मेकर, डायरी, आई0डी0 कार्ड, कम्प्यूटर आदि का आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल राशि ₹5,89,48,080 / –(पाँच करोड़ नवासी लाख अड़तालीस हजार अस्सी रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है।

3– आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण– उप शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–277 शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तिया–मांग संख्या–44–विपत्र कोड 44–2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के लिए संबंधित उप विकास आयुक्त नियंत्री पदाधिकारी होगे। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7– संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए किया जाएगा।

8–राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

13.1.26

निदेशक।

ज्ञापांक–4/निदे0 अनु0जाति राज्य स्कीम (सा0 एवं पू0)–46–06/2025–284 दिनांक– 13/01/2026

प्रतिलिपिः–(1) महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक(मु0), अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.1.26

निदेशक।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत संचालित अनु0 जाति के आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों, आवासीय विद्यालय महकार, गयाजी एवं अनु0 जाति के डॉ अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटित राशि की विवरणी

विपत्र कोड–44–2225012770101

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	जिला	आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	4500000
2	नालंदा	1236750
3	भोजपुर	2349825
4	बक्सर	742050
5	रोहतास	2500000
6	भभुआ	1855125
7	गयाजी	3710250
8	आ0 वि0, महकार, गयाजी	7000000
9	जहांनाबाद	1000000
10	अरवल	247350
11	नवादा	2349825
12	औरंगाबाद	247350
13	पू0 चम्पारण	494700
14	प0 चम्पारण	4000000
15	सीतामढ़ी	2597175
16	मुजफ्फरपुर	1978800
17	बेगुसराय	247350
18	शेखपुरा	123675
19	मुंगेर	494700
20	जमुई	2100000
21	कटिहार	1113075
22	अररिया	618375
23	पूर्णियां	1113075
24	किशनगंज	989400
25	सुपौल	1113075
26	सहरसा	371025
27	मधेपुरा	865725
28	मधुबनी	247350
29	समस्तीपुर	3042405
30	दरभंगा	1855125
31	सारण	742050
32	सीवान	1484100
33	गोपालगंज	371025
34	भागलपुर	5000000
35	बांका	247350
	कुल योग	**58948080**

(पाँच करोड़ नवासी लाख अड़तालीस हजार अस्सी रू0) मात्र

पत्रांक– 284 दिनांक–13/01/2026 का अनुलग्नक

13/1/26

निदेशक